



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1271]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 1271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

का.आ. 1407(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा मार्च, 2018 से फरवरी, 2019 के बीच में एक जेनेरेटर स्टेटर के तोशिवा जेएसडब्ल्यू, चेन्नई फैक्ट्री से हरदुवागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट साइट तक सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है—

अनुसूची

1. मै. रेशमसिंह एण्ड कं. प्रा. लि., मुम्बई, उपरोक्त यातायात के लिए मैं. तोशिवा जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम प्रा. लिमिटेड के लिए यातायात कम्पनी है।
2. उपरोक्त एक फेरे में छह प्राईम मूवर पंजीकरण संख्या एमएच 46एएफ 1514, एमएच 46एच 4364, एमएच 46एच 5578, एमएच 43 यू 4206, के.ए. 01सी-9296 और के.ए. 01सी-9291 इस्तेमाल किए जाएंगे।
3. उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:

क्रम सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	ट्रेलरों में धूरियों की संख्या	ट्रेलरों में पहियों की संख्या	ट्रेलरों का स्वीकृत कुल सकल भार पंजियन प्रमाण-पत्र के अनुसार (टनों में)
1.	जीजे12 एटी 9249	4	32	104
2.	जीजे12 एटी 9250	4	32	104
3.	जीजे12 एटी 9251	4	32	104
4.	एमएच43 यू 6340	4	32	104
5.	एमएच43यू 6341	8	64	208
6.	एमएच43यू 6342	8	64	208
7.	एमसीवाई 1719	4	32	120

8.	एमसीवाई 1720	8	64	240
9.	एमसीवाई 1721	4	32	120
10.	एमएच46एच 5554	6	48	156
11.	एमएच06 9145	4	32	120
12.	एमएच06 9146	4	32	120
13.	एमएच06 9148	6	48	180
14.	एमएच06 9149	4	32	120
15.	एमएच06 9150	6	48	180

4. लदी हुई स्थिति में कुल सकल भार एवं कन्साइनमेंट का माप निम्नलिखित होगा :-

20(1+1/2) खाली धूरी पंक्ति का भार	कन्साइनमेंट का भार	धूरियों का कुल सकल भार	कन्साइनमेंट का कुल माप (एम.एम. में) (लम्बाई X चौड़ाई X उंचाई)	चौड़ाई में धूरियों को जोड़ने का विवरण
84 टन	343 टन	427 टन	9659 X 6278 X 5300	1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 16 धूरी पंक्तियां (24 धूरी पंक्ति के बराबर) को चौड़ाई में 1+1/2 जोड़ा जाएगा (एक धूरी पंक्ति में 12 टायर)

5. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अधीन है:-

(i) उपरोक्त कन्साइनमेंट के यातायात हेतु विशेष रास्ता मैं. मैं. तोशिवा जेएसडब्ल्यू फैक्टरी से कामराजार पोर्ट तक भाया नप्पालियम - अट्टीपटू - पुलकोट - कामराजार जंक्शन तक एवं मुद्रा पोर्ट/कांडला पोर्ट से हरदुआगंज साईट वाया अंजार - गांधीधाम - समखियारी - राधनपुर - दीशा - मंदार - षिरोही - पाली - वियावर - नषिरावाद - किशनगढ़ - जयपुर - चंदवाजी - दउशा - भरतपुर - आगरा - सादावाद - हाथरस - अलीगढ़ है।

(ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।

(iv) केवल उपरोक्त दो फेरे के लिए ट्रेलरों को चौड़ाई में जोड़ने की अनुमति है।

(v) मै. रेशमसिंह एण्ड कं. प्रा. लि., मुम्बई को वाहन के प्रत्येक आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारी/विशेष अधिकारी को देनी होगी।

(vi) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

(vii) मै. रेशमसिंह एण्ड कं. प्रा. लि., मुम्बई को बड़े आकार के कार्गो को घ्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(viii) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुंचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।

- (ix) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (x) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xi) सड़कों अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी।
- (xii) मै. रेशमसिंह एण्ड कं. प्रा. लि., मुम्बई ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगी जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xiii) मै. रेशमसिंह एण्ड कं. प्रा. लि., मुम्बई देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परमिट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xiv) कन्साइमेंट के यातायात हेतु समायोजन में दो प्राइम मूवर एवं 16 पंक्तियां, (1+1/2) धूरी प्रत्येक पंक्ति में होगी।
- (xv) ट्रेलरों के यातायात हेतु चौड़ाई में धूरियों को जोड़ने के पश्चात यदि समायोजन की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई से अधिक है तो राज्य सरकारों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श कर बाई पास बनाना या अन्य उपाय किए जाएंगे।
- (xvi) ट्रेलरों एवं प्राइम मूवर्स के पंजीकरण पुस्तिका में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में पंजीकृत हैं।

[फा. सं. आर.टी-11042/35/2017-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

S.O. 1407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of one Generator Stator from Toshiba JSW Chennai Factory to Harduaganj, Alighrh, UP project site during the period from March, 2018 to February, 2019 by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s. Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd., Mumbai is the transporter of M/s Toshiba JSW Power Systems Pvt. Limited.
2. Six Prime Movers bearing registration MH46AF-1514, MH46H4364, MH46H-5578, MH 43U4206, KA01C-9296 and KA01C-9291 will be utilized in the above movement.
3. The following independently registered hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	No. of Axles in Trailers	No. of Tyres in Trailers	GVW sanctioned/ mentioned in RC of Trailers (in Ton)
1.	GJ12AT-9249	4	32	104
2.	GJ12AT-9250	4	32	104
3.	GJ12AT-9251	4	32	104
4.	MH.43.U.6340	4	32	104
5.	MH.43.U.6341	8	64	208
6.	MH.43.U.6342	8	64	208
7.	MCY-1719	4	32	120

8.	MCY-1720	8	64	240
9.	MCY-1721	4	32	120
10.	MH.46.H.5554	6	48	156
11.	MH.06-9145	4	32	120
12.	MH.06-9146	4	32	120
13.	MH.06-9148	6	48	180
14.	MH.06-9149	4	32	120
15.	MH.06-9150	6	48	180

4. GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be :-

Unladen weight of 16 Nos. (1+1/2) axle rows	Weight of consignment	GVW of the axles required	Overall dimension of consignment (in MM) (length x Width x Height)	Description Coupling of axles in width
84 Tons	343 tons	427 tons	9659 x 6278 x 5300	1+1/2 axles in each row; 16 axle rows (equivalent to 24 axle row) in common parlance; will be coupled in 1+1/2 axle width. (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that :-

- (i) The specific route for transportation of the consignments will be from Toshiba JSW Factory – Nappalyam – Attipatu – Pulcot – Kamrajar Junction – Kamrajar Port and from Mundra Port/Kandla Port to Harduaganj site via Anjar – Gandhidham – Samakhiary – Radhanpur – Deesa – Mandar – Sirohi – Pali – Beawer – Nasirabad – Kishngarh – Jaipur – Chandwaji – Dausa – Bharatpur – Agra – Sadabad – Hathras – Aligarh.
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road will be permissible only for above movement.
- (v) M/s Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd., Mumbai will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (vi) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (vii) M/s Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd., Mumbai would need to obtain permission before moving, from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (viii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (ix) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 kms/hour.
- (x) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.

- (xi) M/s Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd., Mumbai would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xii) M/s Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd., Mumbai will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xiii) Company will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized in the above movements.
- (xiv) Each set of vehicles for transportation of consignment, will consist of two Prime Movers and 16 rows of (1+1/2) axles in each row.
- (xv) In case, the width after sideway coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes/other measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.
- (xvi) No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Gujarat, Maharashtra and Karnataka.

[F. No. RT-11042/35/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.